

# कार्यालय, उप निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व, बीजापुर जिला- बीजापुर (छत्तीसगढ़)

E-mail dyditrbijapur@yahoo.in Fax - 07853-220268 Phone - 07853-22026

क्रमांक/मा.चि./2517  
प्रति,

बीजापुर, दिनांक 14/08/2018

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
कार्या. मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) एवं  
परियोजना संचालक इन्द्रावती टायगर रिजर्व  
जगदलपुर

विषय :- Diversion of 4.990 ha of forest land in Buffer Zone of Indrawati Tiger Reserve Bijapur for construction of Headquarter of 15<sup>th</sup> Vahini Battalion Chhattisgarh Force in village Dhanora, Bijapur District in the State of Chhattisgarh - regarding .  
संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर का पत्र क्रमांक Fc-1/CH-84/2017. NGP/3363 दिनांक 28.02.2018. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) छत्तीसगढ़, नया रायपुर का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-616/1023 दिनांक 03.04.2018 एवं आपका पत्र पृ क्रमांक/त.अधि./1195, दिनांक 13.04.2018.

---:000:---

विषयान्तर्गत प्रतिवेदन है कि संदर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में उठाई गई आपत्तियों का निराकरण उपरांत प्रतिवेदन बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित है :-

|    |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I  | Details of tree enumeration, detailing category wise number of project affected trees have not been uploaded on the website.                                                                                                   | प्रस्तावित क्षेत्र में 83 वृक्ष विद्यमान है जिसे सुरक्षित रखा जावेगा। वृक्ष विहीन क्षेत्र को ही उपयोग किया जावेगा वृक्ष काटने की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र में स्थित 83 वृक्षों का प्रजातिवार गणना पत्रक संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| II | Instant case does not constitute the part of categories for which genral approval has been accorded by the Central Government, Therefore the State Government needs to submit the proposal for raising CA in the instant case. | अनुविभागीय अधिकारी(रा.) बीजापुर/भैरमगढ़/भोपालपटन को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने बाबत पत्र क्रमांक क्रं./मा.चि./1261, दिनांक 24.04.2018. पत्र क्रं./मा.चि./1488, दिनांक 21.05.2018, पत्र क्रं./मा.चि./1846, दिनांक 21.06.2018 एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी बीजापुर/मददेड़/कुटरू बफर को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने बाबत पत्र क्रमांक क्रं./मा.चि./2252, दिनांक 30.07.2018. पत्र क्रं./मा.चि./2500, दिनांक 10.08.2018, द्वारा लेख किया गया है। उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराये जाने पर डी.जी.पी.एस. सर्वेक्षण की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी। |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>III Instant Project is non- site specific accordingly State Government need to submit justification for locating the project in the forest land and inescapability of the forest land.</p> | <p>जिला - बीजापुर मुख्यालय में उपयुक्त शासकीय भूमि एवं गैर वनभूमि उपलब्ध न होने के कारण ग्राम धनोरा के संरक्षित /असीमांकित/राजस्व वनभूमि को 15वीं बटालियन मुख्यालय की स्थापना हेतु चयनित किया गया है। जिला की सुरक्षा हेतु बटालियन मुख्यालय की स्थापना समीप किया जाना है इस हेतु जिला मुख्यालय बीजापुर से 7.00 कि.मी. अतिसमीप भारत रक्षित 15 वीं वाहिनी का स्थापना हेतु क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जो जिले की सुरक्षा की दृष्टिकोण से आवश्यक है। इस बाबत कलेक्टर बीजापुर द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है। <u>संलग्न है।</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>As requested, detail of non - forest and Government land available in the Bijapur Forest Division has not been submitted.</p>                                                              | <p>कलेक्टर, जिला - बीजापुर का प्रमाण पत्र संलग्न है। जिलाध्यक्ष बीजापुर के प्रतिवेदन अनुसार जिला - बीजापुर मुख्यालय में उपयुक्त शासकीय भूमि एवं गैर वनभूमि उपलब्ध न होने के कारण ग्राम धनोरा के संरक्षित /असीमांकित/राजस्व वनभूमि को चयनित किया गया है, जिला मुख्यालय बीजापुर के अतिसमीप भारत रक्षित 15 वीं वाहिनी का स्थापना किया जाना है जो क्षेत्र की सुरक्षा की दृष्टिकोण से आवश्यक है, इसके अतिरिक्त जिला मुख्यालय के अतिसमीप कोई भी उपयुक्त शासकीय भूमि/राजस्व भूमि नहीं है इस बाबत कलेक्टर बीजापुर द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है।</p> <p>जिला मुख्यालय से अति समीप लगा हुआ क्षेत्र में भारत रक्षित 15वीं वाहिनी के मुख्यालय स्थापना से क्षेत्र की जनता में सुरक्षा की भावना पैदा होगी व बीजापुर में व्यवसायिक, सामाजिक जैसे विकासमूलक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इस कारण ग्राम धनोरा में भूमि चयनित किया गया है। प्रत्यावर्तन क्षेत्र में किसी भी प्रकार की वृक्ष विदोहन नहीं किया जावेगा।</p> |

संलग्न:- उपरोक्तानुसार (प्रति में)

उप निदेशक  
इंद्रावती टायगर रिजर्व,  
बीजापुर

// कार्यालय-सेनानी, 15वीं वाहिनी, (भा0/र0), छसबल, धनौरा बीजापुर //  
क्र0-15वीं बटा0/भा.र./छसबल/बीजा0/सा0आ0/M/1584-A / 18, दिनांक- 10/08/18

प्रति,

उप निदेशक,  
इन्द्रावती टायगर रिजर्व  
बीजापुर

विषय :- Diversion of 4.990 ha of forest land in Buffer Zone of Indrawati Tiger Reserve Bijapur for construction of Headquarter of 15<sup>th</sup> Vahini Battalion Chhattisgarh Force in village Dhanora, Bijapur District in the State of Chhattigarh – regarding .

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर का पत्र क्रमांक Fc-1/CH. 84/2017. NGP/3363 दिनांक 28.02.2018 ।

---:000:---

विषयान्तर्गत प्रतिवेदन है कि संदर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में उठाई गई आपत्तियों का निराकरण उपरांत प्रतिवेदन बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित है :-

|     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I   | Details of tree enumeration, detailing category wise number of project affected trees have not been uploaded on the website.                                                                                                      | प्रस्तावित क्षेत्र में 83 वृक्ष विद्यमान है जिसे सुरक्षित रखा जावेगा। वृक्ष विहीन क्षेत्र को ही उपयोग किया जावेगा वृक्ष काटने की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र में स्थित 83 वृक्षों का प्रजातिवार गणना पत्रक संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| II  | Instant case does not constitute the part of 13 categories for which genral approval has been accorded by the Central Government, Therefore the State Government needs to submit the proposal for raising CA in the instant case. | उप निदेशक, इन्द्रावती बीजापुर को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने बाबत पत्र क्रमांक क्रं.-15वीं./बटा. /छसबल/बीजा./सा.अ./M/1822 दिनांक- 22.03.2018 द्वारा लेख किया गया है। उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराये जाने पर डी.जी.पी.एस. सर्वेक्षण की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।                                                                                                                                                                                                                                                     |
| III | Instant Project is non- site specific accordingly State Government need to submit justification for locating the project in the forest land and inescapability of the forest land.                                                | जिला - बीजापुर मुख्यालय में उपयुक्त शासकीय भूमि एवं गैर वनभूमि उपलब्ध न होने के कारण ग्राम धनौरा के संरक्षित /असीमांकित/राजस्व वनभूमि को 15वीं बटालियन मुख्यालय की स्थापना हेतु चयनित किया गया है। जिला की सुरक्षा हेतु बटालियन मुख्यालय की स्थापना समीप किया जाना है इस हेतु जिला मुख्यालय बीजापुर से 7.00 कि.मी. अतिसमीप भारत रक्षित 15 वीं वाहिनी का स्थापना हेतु क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जो जिले की सुरक्षा की दृष्टिकोण से आवश्यक है। इस बाबत कलेक्टर बीजापुर द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है। <u>संलग्न है।</u> |

मु.लि.स्टेनो, स्थापना, व्यय, सा, शा.

उप निदेशक

बं.टा.रि.

10/8/2018

IV

As requested, detail of non – forest and Government land available in the Bijapur Forest Division has not been submitted.

कलेक्टर, जिला - बीजापुर का प्रमाण पत्र संलग्न है। जिलाध्यक्ष बीजापुर के प्रतिवेदन अनुसार जिला - बीजापुर मुख्यालय में उपयुक्त शासकीय भूमि एवं गैर वनभूमि उपलब्ध न होने के कारण ग्राम धनोरा के संरक्षित /असीमांकित/राजस्व वनभूमि को चयनित किया गया है, जिला मुख्यालय बीजापुर के अतिसमीप भारत रक्षित 15 वीं वाहिनी का स्थापना किया जाना है जो क्षेत्रा की सुरक्षा की दृष्टिकोण से आवश्यक है, इसके अतिरिक्त जिला मुख्यालय के अतिसमीप कोई भी उपयुक्त शासकीय भूमि/राजस्व भूमि नहीं है इस बाबत कलेक्टर बीजापुर द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

जिला मुख्यालय से अति समीप लगा हुआ क्षेत्रा में भारत रक्षित 15वीं वाहिनी के मुख्यालय स्थापना से क्षेत्रा की जनता में सुरक्षा की भावना पैदा होगी व बीजापुर में व्यवसायिक, सामाजिक जैसे विकासमूलक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इस कारण ग्राम धनोरा में भूमि चयनित किया गया है। प्रत्यावर्तन क्षेत्र में किसी भी प्रकार की वृक्ष विदोहन नहीं किया जावेगा।

10/08/18

सेनानी

✓ 15 वीं वाहिनी (भा/र) छसवल  
बीजापुर